

प्रेषक,

जी० के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कुशीनगर एवं सिद्धार्थनगर।

राजस्व अनुभाग -10

लखनऊ: दिनांक 01 मई, 2008

विषय :- वर्ष 2007-08 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु रु० 10.00 लाख से ऊपर की परियोजनाओं की स्वीकृति।

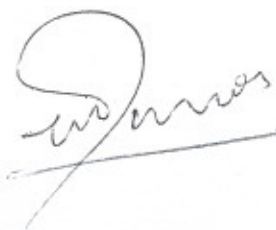
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल, 2008 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्ष 2007-08 में बाढ़ प्रभावित जनपद कुशीनगर एवं सिद्धार्थनगर में तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुर्नस्थापना/अनुरक्षण/मरम्मत कार्यों हेतु आपदा राहत निधि के लिये लागू प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन जनपद से संस्तुति सहित अग्रसारित क्षतिग्रस्त रु० 10.00 लाख से ऊपर की निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु रु० 8,75,50,000/- (रुपया आठ करोड़ पचहत्तर लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1. जनपद कुशीनगर

परियोजना का नाम	आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
1. छितौनी बांध के किमी० 3.200 कट एण्ड-1 के बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की अनापेक्षित आपातकालीन योजना।	11.72
2. छितौनी बांध के किमी० 3.260 कट एण्ड-2 तथा बांध के डाउन स्ट्रीम के किमी० 3.260 से 3.665 तक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की अनापेक्षित आपातकालीन योजना।	18.65
3. छितौनी बांध के कट एण्ड-2 के किमी० 3.260 से बांध के	24.91

अपस्ट्रीम भाग के किमी0 3.260 से 3.665 तक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो अनापेक्षित आपातकालीन योजना।	
4. छितौनी तटबंध के किमी0 12.700 पर स्थित वीरभार स्पर के अपस्ट्रीम में चैनेज 1320 मीटर से 1360 मीटर तक क्षतिग्रस्त लांचिंग एग्रन के अनापेक्षित आपातकालीन योजना।	24.80
5. छितौनी तटबंध के किमी0 12.700 पर स्थित वीरभार स्पर के अपस्ट्रीम में चैनेज 1240 मीटर, 1261 मीटर, 1275 मीटर व 1286 मीटर पर क्षतिग्रस्त कटरो के बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो की परियोजना।	34.95
6. छितौनी तटबंध के किमी0 8.595 तथा 8.615 पर दो अदद कटर का निर्माण तथा किमी0 8.551 एवं 8.738 के स्पर के क्षतिग्रस्त नोज तथा शैक के मरम्मत हेतु कराये गये बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो की अनापेक्षित आपातकालीन योजना।	40.34
7. छितौनी तटबंध के किमी0 8.738 से 8.850 तक दि0 29.9.07 से 4.10.07 तक कराये गये बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो की अनापेक्षित आपातकालीन योजना।	64.96
8. छितौनी तटबंध के किमी0 8.551 से 8.738 के मध्य क्षति तक कराये गये बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो की अनापेक्षित आपातकालीन योजना।	45.66
9. छितौनी तटबंध के किमी0 3.200 से 3.350 तक कट भरने के कार्य की अनापेक्षित आपातकालीन योजना।	66.54
10. अमवाखास तटबंध, पी.पी.ई. तटबंध एवं पी.पी.आर. तटबंध पर रेनकट्स भरने एवं शोरी आदि बन्द करने तथा अमवाखास तटबंध के किमी0 5.250 पर स्थित स्पर के रेस्टोरेशन कार्य का अनापेक्षित आपातकालीन योजना।	15.41
11. अमवाखास तटबंध के किमी0 4.900 पर स्थित क्षतिग्रस्त स्पर के नोज भाग के चैनेज 6.00 मीटर से 36.00 मीटर तक कटर एवं डाउन स्ट्रीम के शैक भाग पर क्षतिग्रस्त एग्रन के पुनर्स्थापना के कराये गये कार्य की अनापेक्षित आपातकालीन योजना।	15.80
12. अमवाखास तटबंध के किमी0 4.600 पर निर्मित स्टड की सुरक्षा हेतु अनापेक्षित आपातकालीन योजना।	10.05
13. अहिरौलीदान पिपरा घाट तटबंध के किमी0 2.375, 2.380, 2.388, 2.375, 2.402, 2.412, 2.422, 2.432 एवं 2.425 तक एग्रन के निर्माण कार्य की योजना।	47.30
14. अहिरौलीदान पिपरा घाट तटबंध के किमी0 6.996 तक क्षतिग्रस्त एग्रन का रिक्वूमेन्ट तथा कट एण्ड-2 (किमी0 6.966) के चैनेज 35 मीटर पर कटर के निर्माण कार्य की अनापेक्षित	24.16



आपातकालीन योजना।	
15. अहिरौलीदान पिपरा घाट तटबंध के किमी० 0.00 से 17.115 तक रेट कटस भरने, जंगल सफाई, रैन एवं एप्रोच रोड के मरम्मत तथा कट एण्ड-2 (किमी० 2.337) के रिक्यूपमेन्ट कार्य की अनापेक्षित आपातकालीन योजना।	21.83
16. अहिरौलीदान पिपरा घाट तटबंध के किमी० 17.010 तक कट भरने के कार्य की अनापेक्षित आपातकालीन योजना।	39.54
17. अहिरौलीदान पिपरा घाट तटबंध के किमी० 2.227 से 2.337 तक कट भरने एवं गण्डक नदी के स्लिप बन्द करने के कार्य की अनापेक्षित आपातकालीन योजना।	73.71
कुल योग :	580.33

2. जनपद सिद्धार्थनगर

सिंचाई निर्माण खण्ड की परियोजना का नाम	आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
1. बूढ़ी राप्ती नदी के दायें तट पर मदरहवा अशोगवा बांध के किमी० 0.080 पर जल प्लावन की निकासी हेतु रेगुलेटर निर्माण का कार्य	16.59
2. बूढ़ी राप्ती नदी के दायें तट पर मदरहवा अशोगवा बांध के किमी० 1.850 पर जल प्लावन की निकासी हेतु रेगुलेटर निर्माण का कार्य	16.50
3. बूढ़ी राप्ती नदी के दायें तट पर अशोगवा नगवा बांध के किमी० 0.400 पर जल प्लावन निकासी हेतु रेगुलेटर निर्माण का कार्य	14.42
4. बूढ़ी राप्ती नदी के दायें तट पर सूपा एडवान्स बांध के किमी० 1.800 से 2.000 के मध्य क्षतिग्रस्त डैम्पनरों की पुनर्स्थापना हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य	13.77
5. बूढ़ी राप्ती नदी के दायें तट पर ककरही गोमहा बांध के किमी० 1.410 से 1.490 के मध्य बाढ़ सुरक्षा कार्य	38.71
6. बूढ़ी राप्ती नदी के दायें एवं राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित फत्ततेपुर खजुर डाड अजगरा बांध के किमी० 0.000 से 10.000 के मध्य क्षतिग्रस्त स्लोप की पुनर्स्थापना का कार्य	47.69
7. बूढ़ी राप्ती नदी के दायें एवं राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित फत्ततेपुर खजुर डाड अजगरा बांध के किमी० 8.850 पर जल निकासी हेतु रेगुलेटर निर्माण का कार्य	19.91
8. राप्ती नदी के बायें तट पर नरकटहा शहर सुरक्षा बांध के किमी० 0.000 से 1.130 तक क्षतिग्रस्त स्लोप की पुनर्स्थापना का कार्य	20.73
9. राप्ती नदी के बायें तट पर सोनखर टेडिया बांध के किमी० 0.000	32.45



से 5.800 तक क्षतिग्रस्त स्लोप की पुनर्स्थापना एवं डबल बनाने का कार्य	
10. राप्ती नदी के बायें तट पर भवारी गायघाट अजगरा बांध के किमी 0 0.000 से 14.650 के मध्य क्षतिग्रस्त स्लोप की पुनर्स्थापना का कार्य	74.40
कुल योग:	295.17

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि रु0 8,75,50,000/- (रुपया आठ करोड़ पचहत्तर लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में कार्यदायी संस्था को 30 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की जाय। 30 प्रतिशत स्वीकृत धनराशि के दो तिहाई भाग का उपभोग होने पर स्वीकृत धनराशि के समक्ष आवश्यकतानुसार धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश संख्या-1309/1-10-2008-12(73)/2007 दिनांक: 07-03-2008 द्वारा जिलाधिकारी को अधिकृत कर दिया गया है।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृति रु0 10.00 लाख से ऊपर की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुर्नस्थापना/अनुरक्षण/मरम्मत सम्बन्धी परियोजनाओं के स्वीकृत प्रस्तावों हेतु जिलाधिकारी सम्बन्धित विभाग को धनराशि उपलब्ध करायेगें तथा इस धनराशि का प्रयोग केवल उपर्युक्त उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नहीं हुई हो।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि से कार्य कराये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करायेगी तथा कार्य के पूर्ण निष्पादन उपरान्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराकर व्यय सम्बन्धी मस्टररोल, एम बी तथा अन्य वाउचर जिलाधिकारी को अग्रिम समायोजन के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक चरण में की गई फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी की एक प्रति जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा शासन के राजस्व अनुभाग-10 में भी उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्त कार्यों की एक निदर्शिनी भी प्रकाशित की जाय, जिसके अन्तर्गत जनपद में आपदा सम्बन्धी किये गये कार्यों का विवरण हो। इस निदर्शिनी को मण्डलायुक्त,



राहत आयुक्त एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय तथा इसे जनपद के वेबसाइट पर भी जनसूचना हेतु उपलब्ध कराया जाय।

6. रु0 10.00 लाख से ऊपर की परियोजनाओं को राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया है कि जो परियोजनायें मरम्मत सम्बन्धी हैं, उनके कार्यों का सत्यापन विभागीय प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कराया जाय तथा जिला आपदा राहत समिति एवं जनपद स्तर पर गठित तकनीकी समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही विभाग को धनराशि उस सीमा तक ही तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुर्नस्थापना/अनुरक्षण/मरम्मत सम्बन्धी परियोजनाओं पर व्यय हेतु निर्गत की जाय। सम्बन्धित विभाग से यह प्रमाण पत्र ले लिया जाय कि उक्त परियोजनाओं में वांछित विभागीय मानकों के अनुरूप वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया गया है।

7. अधिसंरचना सम्बन्धी कार्यों का प्राक्कलन कार्यदायी संस्था द्वारा विभागीय मानकों/लोक निर्माण विभाग शेड्यूल रेट के अनुसार किया जायेगा जिस पर जिलाधिकारी, जिला आपदा राहत समिति के अनुमोदन उपरान्त कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेंगे। कार्य की सतत् निगरानी/गुणवत्ता हेतु जिलाधिकारी तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टास्क फोर्स की टीम भी गठित करेंगे जिसके द्वारा कार्य का औचक निरीक्षण भी किया जायेगा। मण्डलायुक्त द्वारा भी मासिक बैठक में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निर्गत धनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टास्क फोर्स के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा।

8. उक्त आवंटित धनराशि में से आहरित की जाने वाली धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग दिनांक 30 जून, 2008 तक अनिवार्य रूप से हो जाय। उक्त अवधि के उपरान्त शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचत सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 10 जुलाई, 2008 तक शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या-जी.आई. 134/1-11-2007-46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित राहत की विभिन्न मदों में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

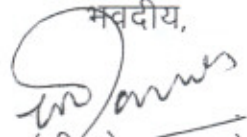
10. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय। मदवार मासिक व्यय विवरण/भौतिक कार्य विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त



तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

11. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

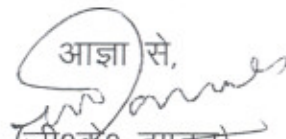
12. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी०के० टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या -2499(1)/1-10-2008-12(73)/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मण्डलायुक्त गोरखपुर एवं बस्ती।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी कुशीनगर एवं सिद्धार्थनगर।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग -5।
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (दो प्रतियाँ)/लेखाकार राजस्व अनुभाग-10 राजस्व अनुभाग -6/11 /राहत आयुक्त के वेबसाइट हेतु।
9. चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली हेतु।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जी०के० टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव